ए.

प्रदीप

वी.

हरियाणा राज्य

(2012 की आपराधिक अपील सं. 553) 05 जुलाई, 2023

बी.

[अभय एस**.** ओका और राजेश बिंदल**,** जे**.** जे**.]**

साक्ष्य-बाल गवाह की गवाही-दोषसिद्धि का एकमात्र आधार-जब उचित न हो-सह-अभियुक्त के साथ अपीलार्थी को दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।302 आर/डब्ल्यू एस।34, भारतीय दण्ड संहिता और एसएस।449, 324 आर/डब्ल्यू एस।34, मृतक के नाबालिग बेटे पीडब्लू-1 की गवाही के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता-आयोजितःएस की आवश्यकता को देखते हुए।दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि8 दोषसिद्धि,दोषसिद्धि दोषसिद्धिसदोषसिद्धिादोषसिद्धिकदोषसिद्धि्दोषसिद्धिषदोषसिद्धि्दोषसिद्धियदोषसिद्धि दोषसिद्धिअदोषसिद्धिधदोषसिद्धिदोषसिद्धिनदोषसिद्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिमदोषसिद्धि,दोष सिद्धि दोषसिद्धिवदोषसिद्धिदोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिणदोषसिद्धि दोषसिद्धिनदोषसिद्धि्दोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धिधदोषसिद्धीदोष सिद्धिशदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धि्दोषसिद्धितदोषसिद्धिवदोषसिद्धि्दोषसिद्धियदोषसिद्धि दोषसिद्धिथदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिवदोषसिद्धिहदोषसिद्धि दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिनदोषसिद्धीदोषसिद्धि दोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धि दोषसिद्धिददोषसिद्धिरदोषसिद्धि्दोषसिद्धिजदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिबदोषसिद्धिचदोषसिद्धि्दोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिउदोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिसदोषसिद्धिादोषसिद्धिमदोषसिद्धिनदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिरदोषसिद्धिखदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिगदोषसिद्धिएदोषसिद्धि दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिशदोषसिद्धि्दोषसिद्धिनदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोष सिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धि दोषसिद्धिसदोषसिद्धिमदोषसिद्धिझदोषसिद्धिनदोषसिद्धिदोषसिद्धि

दोषसिद्धिमदोषसिद्धिदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धिषदोषसिद्धिमदोषसिद्धि
दोषसिद्धिहदोषसिद्धैदोषसिद्धि दोषसिद्धिऔदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिवदोषसिद्धिहदोषसिद्धि
दोषसिद्धितदोषसिद्धिरदोषसिद्धिधदोषसिद्धिकदोषसिद्धिसदोषसिद्धिंदोषसिद्धिगदोषसिद्धितदोषसिद्धि दोषसिद्धिउदोषसिद्धितदोषसिद्धिधदोषसिद्धितदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धैदोषसिद्धिनदोषसिद्धैदोषसिद्धि दोषसिद्धिमदोषसिद्धैदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धिषदोषसिद्धिमदोषसिद्धि
दोषसिद्धिहदोषसिद्धैदोषसिद्धि-
दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धीदोषसिद्धिकदोषसिद्धिषदोषसिद्धिणदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिधदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धिधदोषसिद्धीदोषसिद्धिशदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिनदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धि दोषसिद्धिभदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिरदोषसिद्धिधदोषसिद्धिजदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धिनदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धिहदोषसिद्धिंदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धिबदोषसिद्धिादोषसिद्धिलदोषसिद्धि
दोषसिद्धिगदोषसिद्धिवदोषसिद्धिादोषसिद्धिहदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धितदोषसिद्धिधदोषसिद्धियदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिोदोषसिद्धिलदोषसिद्धिनदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धिधदोषसिद्धितदोषसिद्धिवदोषसिद्धिधदोषसिद्धियदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिमदोषसिद्धिझदोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिहदोषसिद्धैदोषसिद्धि दोषसिद्धिऔदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धियदोषसिद्धिहदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धिहदोषसिद्धिंदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धिउदोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिधदोषसिद्धियदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिहदोषसिद्धैदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिचदोषसिद्धिधदोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धितदोषसिद्धिधदोषसिद्धियदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिोदोषसिद्धिलदोषसिद्धिनदोषसिद्धैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि

दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धितदोषसिद्धिवदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिमदोषसिद्धिझदोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिहदोषसिद्धिैदोषसिद्धि-
दोषसिद्धिवदोषसिद्धिरदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धितदोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिादोषसिद्धिमदोषसिद्धिलदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिैदोषसिद्धिंदोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धितदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धिधदोषसिद्धिीदोष
सिद्धिशदोषसिद्धि दोषसिद्धिनदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धितदोषसिद्धिवदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिहदोषसिद्धिीदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिभदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि-
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धिबदोषसिद्धिादोषसिद्धिलदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिगदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिंदोषसिद्धिभदोषसिर्द्धिदोष
सिद्धिकदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धिीदोषसिद्धिकदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिषदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिहदोषसिद्धि्धुदोषसिद्धितदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिसदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिपदोषसिद्धिषदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिटदोषसिद्धि
दोषसिद्धिहदोषसिद्धिैदोषसिद्धि-दोषसिद्धिउदोषसिद्धिसदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिैदोषसिद्धिवदोषसिद्धिलदोषसिद्धि
दोषसिद्धितदोषसिद्धिीदोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिशदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्धूदोषसिद्धिछदोषसिद्धिैदोषसिद्धि दोषसिद्धिगदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिथदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिआदोषसिद्धिधदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धि दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धितदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धिधदोषसिद्धिीदोष
सिद्धिशदोषसिद्धि दोषसिद्धिइदोषसिद्धिसदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिषदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिषदो
षसिद्धि दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धिहदोषसिद्धि्धुदोषसिद्धिंदोषसिद्धिचदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिर्द्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिगदोषसिद्धिवदोषसिद्धिादोषसिद्धिहदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धितदोषसिद्धि्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धिैदोषसिद्धिकदोष

सिद्धि दोषसिद्धिपदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धिरदोषसिद्धिशदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धिनदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धितदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धितदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिैदोषसिद्धिनदोषसिद्धिैदोषसिद्धि दोषसिद्धिमदोषसिद्धिैदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धिषदोषसिद्धिमदोषसिद्धि
दोषसिद्धिथदोषसिद्धिादोषसिद्धि-
दोषसिद्धितदोषसिद्धिथदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धिोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धीदोषसिद्धिडदोषसिद्धिबदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धिलदोषसिद्धिद्धूदोषसिद्धि-
दोषसिद्धि1 दोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिादोषसिद्धिकदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धिषदोषसिद्धिद्ध्दोषसिद्धियदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धीदोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिैदोषसिद्धि दोषसिद्धिजदोषसिद्धिादोषसिद्धिंदोषसिद्धिचदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिरदोषसिद्धिनदोषसिद्धिैदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिादोषसिद्धिददोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धिसदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धिढदोषसि़द्धिदोषसिद्धिादोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोषसिद्धिैदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिंदोषसिद्धिभदोषसिद्धिादोषसिद्धिवदोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिैदोषसिद्धि
दोषसिद्धिइदोषसिद्धिनदोषसिद्धिकदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिहदोषसिद्धीदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिजदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिकदोषसिद्धितदोषसिद्धिादोषसिद्धि दोषसिद्धिहदोषसिद्धिैदोषसिद्धि-
दोषसिद्धिवदोषसिद्धिहदोषसिद्धिादोषसिद्धिँदोषसिद्धि34, 302, 449, 324 – साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.118-शपथ अधिनियम, 1969 -एस. 4.

सी.

डी.

ई.

एफ.

साक्ष्य-बाल गवाह की गवाही-पुष्टि-आयोजितःबाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है-कम उम्र का एक बाल गवाह आसानी से ट्यूशन के लिए अतिसंवेदनशील होता है-हालाँकि, यह अपने आप में एक बाल गवाह के साक्ष्य

को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है-अदालत को एक बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए-इसे इस सवाल पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बाल गवाह की संभावना है।

जी.

एच.

1021 ए.

1022 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

सिखाया जाना-इसलिए, बाल गवाह के साक्ष्य की जांच अदालत द्वारा सावधानी और सावधानी के साथ की जानी चाहिए-आपराधिक कानून।

साक्ष्य-बाल गवाह की गवाही-न्यायालयों का कर्तव्य-आयोजितःसाक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है-उसे नाबालिग की उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है-प्रारंभिक प्रश्न और उत्तर दर्ज करने की सलाह दी जाती है ताकि अपीलीय न्यायालय निचली अदालत की राय की शुद्धता में जा सके-आपराधिक कानून।

बी.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** बाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है।कम उम्र का एक बच्चा गवाह आसानी से शिक्षण के लिए अतिसंवेदनशील होता है।हालाँकि, यह अपने आप में एक बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।न्यायालय को इस सवाल पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बाल गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना है।इसलिए, बाल गवाह के साक्ष्य की जांच अदालत द्वारा सावधानी और सावधानी के साथ की जानी चाहिए।नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है।न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है।इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।उसे यह पता लगाने के लिए उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग की उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है कि क्या नाबालिग उसके

सामने रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को दर्ज करने की सलाह दी जाती है ताकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की शुद्धता में जा सके।**[**पारस **8** और **9] [1028-**एच**; 1029-**ए**-**डी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.2 मामले के तथ्यों में**,** नाबालिग की प्रारंभिक जांच बहुत अस्पष्ट है।ए के सामने केवल तीन प्रश्न रखे गए थे।

एच.

1023

प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य ए

नाबालिग जिसके आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गवाह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था।इसलिए उन्हें शपथ दिलाई गई।सत्र न्यायाधीश ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है।जाँच प्रमुख में उन्होंने कहा कि **30** दिसंबर **2002** की रात को आरोपी एक खिड़की तोड़कर उनके घर में घुस गया।जबकि अपीलार्थी ने अपनी माँ को अपने हाथों से पकड़ रखा था**,** न।**1** उस पर चाकू से हमला किया।जब उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की**,** तो आरोपी नं।**1** उसकी पीठ पर चाकू से वार किया।उसने कहा कि आरोपी के भागने के बाद वह घर में छिपा हुआ था और उसने घटना के बारे में दूधवाले को बताया जो सुबह **5** बजे घर आया था। जाँच**-**इन**-**चीफ में**,** उन्होंने अभियुक्तों द्वारा उनकी पारिवारिक भूमि पर फसलों की कटाई की घटना के बारे में गवाही दी।**1** और **2,** जो अपराध की तारीख से **6** से **7** महीने पहले हुआ था।उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपी उक्त कृत्य में शामिल था**,** लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि अपीलार्थी के पिता ने माफी मांगी थी।जिरह में जब गवाह का सामना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान से किया गया**,** तो उसने स्वीकार किया कि यह घटना उसमें दर्ज नहीं की गई थी।जिरह में गवाह ने स्वेच्छा से कहा कि अदालत में मौजूद आरोपी ने उसकी मां की हत्या कर दी थी और वे नशे में थे।हालाँकि**,** उन्होंने स्वीकार किया कि यह आरोप कि आरोपी नशे में थे**,** पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान में दर्ज नहीं किया गया था।यह घटना आधी रात के बाद हुई थी।जिरह में गवाह ने कहा कि आरोपी ने अपने घर आने से पहले बिजली की आपूर्ति काट दी थी। उन्होंने इस सुझाव की शुद्धता से इनकार किया कि अंधेरे के कारण उन्होंने अपनी मां पर हमला करने वाले हमलावर को नहीं पहचाना।वह प्रतिपरीक्षा में एक बेहतर संस्करण के साथ

सामने आया जिसमें नहीं का आरोप लगाया गया था।**1** एक माचिस की छड़ी को जलाया था और माचिस की छड़ी की रोशनी में**,** उसने हमलावरों को पहचान लिया था।यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि आरोपी नं।**1** जो मृतक के व्यक्ति पर अपने चाकू से **6** से **7** वार करता था**,** वह मृतक पर हमला करते हुए माचिस की छड़ी जलाता था।पीडब्लू**-6,** पीडब्लू**-1** के चाचा।उनका दावा है कि **31** दिसंबर **2002** को जब वे सुबह लगभग **5** बजे पशुशाला गए थे**,** तो उन्होंने दूधवाले से सुना कि एस की पत्नी की हत्या कर दी गई है।उसका दावा है कि वह मृतक के घर भागा।जब पीडब्लू**-1** ने दरवाजा नहीं खोला तो वह दीवार से कूद गया और घर में घुस गया।पीडब्लू**-1** ने कहा कि पीडब्लू**-6** ने दीवार से कूदकर प्रवेश नहीं किया क्योंकि उसने दरवाजे को खोलने में मदद की।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

पीडब्लू**-6** की प्रविष्टि।हालांकि**,** पीडब्लू**-6** का दावा है कि उसके भाई **(**मृतक के पति**)** के आने के बाद ही पुलिस को सूचना दी गई थी।पीडब्लू**-6** प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।**[**पारस **10-13] [1029-D-E; G-H; 1030-A-G]**

1.3 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार सुबह **5** बजे तक पीडब्लू**-1** अपने घर में छिपा हुआ था और जब दूधवाला सुबह **5** बजे आया**,** तो उसने उक्त दूधवाले को घटना के बारे में बताया।वास्तव में**,** यहां तक कि पीडब्लू**-6** ने भी कहा कि उन्हें उक्त दूधवाले से इस घटना के बारे में पता चला।अभियोजन पक्ष ने यह नहीं बताया कि दूधवाले से गवाह के रूप में पूछताछ क्यों नहीं की गई**,** हालांकि वह उपलब्ध था।वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह था जो पहला व्यक्ति था जिसे अभियोजन साक्षी**-** ने कथित रूप से जो देखा था उसका खुलासा किया था।जब तक दूधवाला नहीं आया**,** तब तक ऐसा कोई नहीं था जो पीडब्लू**-1** को पढ़ा सके।इसलिए**,** गवाह ने दूधवाले को जो बताया वह ट्यूशन के आरोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा होगा।वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह था जिसकी जांच से गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना से इनकार किया जा सकता था क्योंकि वह दुर्घटना के बाद नाबालिग गवाह से मिलने वाला पहला व्यक्ति था।बाद में**,** नाबालिग अपने चाचा **(**पीडब्लू**-6)** और अपने पिता

के साथ था और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्लू-**1** के परिवार और आरोपी के बीच संपत्ति को लेकर कुछ विवाद था।उनके पिता की उपस्थिति में अस्पताल में उनका बयान दर्ज किया गया।पीडब्लू-**6** ने जिरह में कहा कि जब उसका साक्ष्य दर्ज किया गया तो दूधवाला अदालत के बाहर मौजूद था।उनका साक्ष्य **22** दिसंबर **2003** को दर्ज किया गया था।उसी दिन, ट्रायल जज ने लोक अभियोजक का बयान दर्ज किया कि वह पीडब्लू**1** के पिता से अनावश्यक होने के कारण पूछताछ नहीं कर रहा था और वह दूधवाले को छोड़ रहा था क्योंकि उसे जीत लिया गया था।यहां तक कि अपीलार्थी के पिता भी एक महत्वपूर्ण गवाह थे।यह एक ऐसा मामला है जिसमें दूधवाले और अपीलार्थी के पिता से पूछताछ न करने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा।जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, एक अन्य परिस्थिति भी प्रासंगिक है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिस घर में घटना हुई थी, उसके पास आरोपी के जूतों/जूतों के पैरों के निशान थे। अभियोजन पक्ष ने पैर के निशान के सांचे ले लिए, जैसा कि पीडब्लू-**6** द्वारा अपदस्थ किया गया था।पीडब्लू-**6** की उपस्थिति में दोनों अभियुक्तों के जूते/जूते को हिरासत में ले लिया गया।लेकिन, वर्तमान अपीलार्थी के जूते अभियोजन पक्ष द्वारा लिए गए जूते की छाप के सांचों से मेल नहीं खाते थे।ए के अलावा

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1025

प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य ए

दूधवाला, पीडब्लू-**11** अनुसंधान अधिकारी से पूछताछ न करने पर, पीडब्लू**1** के बड़े भाइयों के बयान दर्ज करके यह सत्यापित करने के लिए अनुसंधान नहीं की गई कि क्या वे घटना की तारीख को घर से दूर थे।पीडब्लू-**1** के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने और जो हम पहले ही देख चुके हैं उस पर विचार करने के बाद, गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।अभियोजन मामले में अन्य कमियों के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पीडब्लू-**1** की गवाही का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं है।मामले के तथ्यों

में, केवल पीडब्लू-1 की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं होगी जो विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।[पारस 14-16] [1030-H; 1031-A-H; 1032-A]

बी.

सी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2012 की आपराधिक अपील सं. 553।

सी. आर. एल. ए. सं. 227-डी. बी./2005 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 12.01.2009 के निर्णय और आदेश से।सुनील कुमार वर्मा, युगल किशोर प्रसाद, विरेंद्र कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

बीरेंद्र कुमार चौधरी, ए. ए. जी., समर विजय सिंह, केशव मित्तल, सुश्री सबर्नी सोम, सुश्री पूर्वा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओका, जे. फैक्ट्स

1. वर्तमान अपील अभियुक्त नं.2.अपीलार्थी-अभियुक्त नं.2 उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 12 जनवरी 2009 के फैसले और आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 1 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और अभियुक्त नं. 1 भारतीय दंड भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 (संक्षिप्त में 'आई. पी. सी.') और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 449 और 324 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। अपीलार्थी और अभियुक्त नं.1 धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।धारा 34 के साथ पठित धारा 449 के तहत अपराध के लिए, उन्हें सात साल के लिए कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया था।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, उन्हें सजा सुनाई गई थी

एफ.

जी.

एच.

एक वर्ष के लिए कठोर कारावास।अपीलार्थी और अभियुक्त दोनों नं. 1 देवेंद्र उर्फ विक्की ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जिसे विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट पीडब्लू-1, अजय, जो उस समय 11 वर्ष के थे, के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी।वह मृतक भानमती और सतपाल के तीन बेटों में सबसे छोटे हैं।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 30 दिसंबर 2002 को अजय और उसकी मां (मृतक) अपने घर में अंदर से ताला लगाकर सो रहे थे।अजय का बड़ा भाई शिक्षा के लिए गाजियाबाद में रह रहा था और उसका दूसरा भाई अपने मामा के साथ रहने गया था।अजय के पिता सतपाल एक मंदिर के महंत के रूप में काम कर रहे थे, और वे मंदिर के पास रह रहे थे।वह मृतक के साथ नहीं रह रहा था।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, लगभग 1 बजे, पीडब्लू-1 अजय ने अपनी माँ का शोर सुना।जब वह उठा तो उसने उस आरोपी एन. ओ. एस. को देखा। 1 और 2 अपनी माँ से लड़ रहे थे।अभियुक्त नं.1 विक्की ने चाकू से मृतक के पेट और छाती पर 6 से 7 वार किए।उस समय, अपीलार्थी-अभियुक्त नं.2 उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। जब अजय ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, तो आरोपी नं।1 उसी चाकू से उसे चोट पहुँचाई।इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए।वे एक खिड़की से घर में घुसे थे और उसी खिड़की से वापस चले गए थे।अजय के अनुसार, वह डर के कारण घर में छिपा हुआ था। लगभग 5 बजे, जब एक सुरेंदर, दूधवाला, जिसे पीडब्लू-6 द्वारा गोलू के रूप में वर्णित किया गया है, घर आया, तो अजय बाहर आया और उक्त दूधवाले को बताया कि आरोपी ने चाकू से उसकी माँ की हत्या कर दी थी।उक्त दूधवाले ने अजय के चाचा राजिंदर सिंह (पीडब्लू-6) को घटना की सूचना दी जो घटनास्थल पर आए थे।इसके बाद अजय के पिता सतपाल भी आए। घायल अजय को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका बयान दर्ज किया गया।उनके बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

3. अजय ने अपनी शिकायत में कहा कि पहले दिन आरोपी उसके घर आया था और भैंस को बांध दिया था।जब मृतक ने शिकायत की तो दोनों ने मृतक पर हमला करने की कोशिश की। अजय ने यह भी कहा कि घटना से छह से सात महीने पहले, दोनों आरोपी उसके परिवार के खेत में घुस गए थे और उन्होंने अपने खेत का "दौल" काट दिया था।जैसे ही अपीलार्थी के पिता ने सतपाल से माफी माँगी, शिकायत दर्ज नहीं की गई।

जी.

4. पीडब्लू-1 अजय के अलावा, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-6-राजिंदर (अजय के चाचा) और पीडब्लू-10 डॉ. वर्षा से पूछताछ की, जिन्होंने अजय से पूछताछ की थी।अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-12 डॉ. अरुण गर्ग से भी पूछताछ की, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया।

एच.

1027

प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

ए.

प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने हमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के माध्यम से लिया है।उन्होंने कहा कि अजय के साक्ष्य का बहुत सावधानी से परीक्षण करना होगा, क्योंकि वह एक मामूली गवाह है।उन्होंने बताया कि नाबालिग गवाह की गवाही की कोई पुष्टि नहीं है जो भौतिक विरोधाभासों और सुधारों से भरी हुई है।उन्होंने कहा कि पीडब्लू-1 अजय का सबूत विश्वसनीय नहीं है।उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अजय ने सुबह तक किसी को भी घटना का खुलासा नहीं किया।उसने पहली बार इस बात का खुलासा दूधवाले गोलू उर्फ सुरेंद्र को किया जो सुबह लगभग 5 बजे उसके घर आया था।वास्तव में, पीडब्लू-6 का यह भी दावा है कि उसने उक्त दूधवाले को यह कहते हुए सुना कि मृतक की हत्या कर दी गई है।उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दूधवाले से पूछताछ नहीं की है, जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।उन्होंने कहा कि घटना के समय अजय की उपस्थिति बेहद संदिग्ध है।उन्होंने कहा कि संबंधित समय पर घर में पूरी तरह से अंधेरा था और इसलिए, गवाह अजय के लिए आरोपी को देखना संभव नहीं था।उन्होंने आग्रह किया कि इस बात की पूरी संभावना है कि गवाह अजय को पढ़ाया गया था।किसी भी मामले में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतक का हाथ पकड़ने की अपीलार्थी की भूमिका बहुत सीमित है, जबकि आरोपी नं।1 उस पर चाकू से हमला किया।

बी.

सी.

डी.

6. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने विवादित निर्णयों का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक नाबालिग गवाह की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए, पुष्टि आवश्यक है।उन्होंने कहा कि नाबालिग गवाह अजय की गवाही में कथित विरोधाभास और सुधार पूरी तरह से महत्वहीन हैं जो उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय

नहीं बनाते हैं।इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि दोनों न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ई.

एफ.

हमारे लक्ष्य

7. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।मामले का भाग्य नाबालिग गवाह अजय (पीडब्लू-1) की गवाही पर निर्भर करता है।साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") के तहत, एक बाल गवाह तब तक गवाही देने में सक्षम है जब तक कि अदालत यह नहीं मानती है कि उसे उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने या उसकी कम उम्र के कारण तर्कसंगत उत्तर देने से रोका गया है।जहाँ तक बाल गवाह को शपथ देने का संबंध है, शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 (संक्षेप में "शपथ अधिनियम") प्रासंगिक है।धारा 4 इस प्रकार हैः

जी.

एच.

1028 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

"4. गवाहों द्वारा दी जाने वाली शपथ या पुष्टि**,**

दुभाषिया और न्यायाधीश।**—(1)** शपथ या पुष्टि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी**,** अर्थात्ः**—**

(क) सभी गवाह, अर्थात, वे सभी व्यक्ति जिनसे कानूनी रूप से पूछताछ की जा सकती है, या किसी न्यायालय या व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष साक्ष्य दिया जा सकता है या देने की आवश्यकता हो सकती है, जिनके पास कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ करने या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है;

बी.

(ख) गवाहों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और दिए गए साक्ष्य की व्याख्या करने वाले; और

((ग) न्यायाधीशः

सी.

बशर्ते कि जहां गवाह बारह वर्ष से कम आयु का बच्चा है, और अदालत या ऐसे गवाह की जाँच करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति की राय है कि, हालांकि गवाह सच बोलने के

कर्तव्य को समझता है, लेकिन वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता है, इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान और धारा 5 के प्रावधान ऐसे गवाह पर लागू नहीं होंगे; लेकिन ऐसे किसी भी मामले में शपथ या प्रतिज्ञान की अनुपस्थिति ऐसे गवाह द्वारा दिए गए किसी भी साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी और न ही सच बताने के लिए गवाह के दायित्व को प्रभावित करेगी।

डी.

(2) .....”

ई.

धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बाल गवाह के मामले में, जब तक कि उक्त प्रावधान द्वारा आवश्यक संतुष्टि दर्ज नहीं की जाती है, तब तक बाल गवाह को शपथ नहीं दिलाई जा सकती है।इस मामले में, पीडब्लू-1 अजय के बयान में, यह उल्लेख किया गया है कि साक्ष्य दर्ज करने के समय उनकी आयु 12 वर्ष थी।अतः शपथ अधिनियम की धारा 4 का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होगा।तथापि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विद्वत विचारण न्यायाधीश का कर्तव्य था कि वह अपनी राय दर्ज करे कि बच्चा उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और वह उससे पूछे गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। ट्रायल जज को अपनी राय भी दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है और बताता है कि उसकी राय क्यों है कि बच्चा सच बोलने के कर्तव्य को समझता है।

एफ.

जी.

8. यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक बाल गवाह की गवाही की पुष्टि एक नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है।कम उम्र का एक बच्चा गवाह आसानी से शिक्षण के लिए अतिसंवेदनशील होता है।हालांकि, ए.

एच.

कि अपने आप में बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।न्यायालय को इस सवाल पर

अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बाल गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना है।इसलिए, बाल गवाह के साक्ष्य की जांच अदालत द्वारा सावधानी और सावधानी के साथ की जानी चाहिए।9. नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है।न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है।इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।उसे यह पता लगाने के लिए उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग की उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है कि क्या नाबालिग उसके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को दर्ज करने की सलाह दी जाती है ताकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की शुद्धता में जा सके।10. मामले के तथ्यों में, नाबालिग की प्रारंभिक जांच बहुत अस्पष्ट है।नाबालिग से केवल तीन प्रश्न पूछे गए, जिसके आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गवाह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है।इसलिए उन्हें शपथ दिलाई गई।उनसे पूछे गए सवाल इस प्रकार हैं:-

बी.

सी.

डी.

ई.

“ प्र. आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं?

उत्तर। मैं गवर्नमेंट में पढ़ रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय**,** बड़वाशनी।प्र**.** आपके पिता का व्यवसाय क्या है**?**

एफ.

उत्तर। मेरे पिता गोहानबा में हनुमान नामक मंदिर में पुजारी हैं।

प्र**.** किसी को सच बोलना चाहिए या झूठ**?**उत्तर। सच है।**”**

जी.

11. हमारा विचार है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है।फिर भी, हमने नाबालिग गवाह अजय के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की है।जाँच-इन-चीफ में उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2002 की रात को आरोपी एक खिड़की तोड़कर उनके घर में घुस गया।जबकि अपीलार्थी ने अपनी माँ को अपने हाथों से पकड़ रखा था,

एच.

अभियुक्त नं.1 उस पर चाकू से हमला किया।जब उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, तो आरोपी नं।1 उसकी पीठ पर चाकू से वार किया।उसने कहा कि आरोपी के भागने के बाद वह घर में छिपा हुआ था और उसने घटना के बारे में दूधवाले सुरेंद्र को बताया जो सुबह 5 बजे घर आया था। जाँच-इन-चीफ में, उन्होंने अभियुक्तों द्वारा उनकी पारिवारिक भूमि पर फसलों की कटाई की घटना के बारे में गवाही दी।1 और 2, जो अपराध की तारीख से 6 से 7 महीने पहले हुआ था।उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपी उक्त कृत्य में शामिल था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि अपीलार्थी के पिता ने माफी मांगी थी।जिरह में जब गवाह का सामना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान से किया गया, तो उसने स्वीकार किया कि यह घटना उसमें दर्ज नहीं की गई थी।जिरह में गवाह ने स्वेच्छा से कहा कि अदालत में मौजूद आरोपी ने उसकी मां की हत्या कर दी थी और वे नशे में थे।हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि यह आरोप कि आरोपी नशे में थे, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान में दर्ज नहीं किया गया था।

बी.

सी.

12. यह घटना आधी रात के बाद हुई थी।जिरह में गवाह ने कहा कि आरोपी ने अपने घर आने से पहले बिजली की आपूर्ति काट दी थी।उन्होंने इस सुझाव की शुद्धता से इनकार किया कि अंधेरे के कारण उन्होंने अपनी मां पर हमला करने वाले हमलावर को नहीं पहचाना। उन्होंने प्रतिपरीक्षा में एक बेहतर संस्करण प्रस्तुत किया जिसमें नहीं का आरोप लगाया गया था।1 एक माचिस की छड़ी जलाया था और माचिस की छड़ी की रोशनी में, उसने हमलावरों को पहचान लिया था।यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि आरोपी नं।1 जो मृतक के व्यक्ति पर अपने चाकू से 6 से 7 वार करता था, वह मृतक पर हमला करते हुए माचिस की छड़ी जलाता था।

डी.

ई.

13. इस स्तर पर हम अजय के चाचा पीडब्लू-6 राजिंदर सिंह के साक्ष्य का संदर्भ दे सकते हैं। उनका दावा है कि 31 दिसंबर 2002 को जब वे सुबह लगभग 5 बजे पशुशाला गए थे, तो उन्होंने दूधवाले गोलू से सुना कि सतपाल की पत्नी की हत्या कर दी गई है।उसका दावा है कि वह मृतक के घर भागा।जब पीडब्लू-1 अजय ने दरवाजा नहीं खोला, तो वह दीवार से कूद

गया और घर में घुस गया।पीडब्लू-1 अजय ने कहा कि पीडब्लू-6 ने दीवार से कूदकर प्रवेश नहीं किया क्योंकि उसने पीडब्लू-6 के प्रवेश की सुविधा के लिए दरवाजा खोला था।हालांकि, पीडब्लू-6 का दावा है कि उसके भाई सतपाल (मृतक के पति) के आने के बाद ही पुलिस को सूचना दी गई थी।पीडब्लू-6 प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

एफ.

जी.

14. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार सुबह 5 बजे तक पीडब्लू-1 अजय अपने घर में छिपा हुआ था और जब दूधवाला गोलू/सुरेंद्र सुबह 5 बजे आया, तो उसने उक्त दूधवाले को घटना के बारे में बताया।वास्तव में, पीडब्लू-6 ए भी

एच.

1031

प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

उसने कहा कि उसे उक्त दूधवाले से इस घटना का पता चला।अभियोजन पक्ष ने यह नहीं बताया कि दूधवाले से गवाह के रूप में पूछताछ क्यों नहीं की गई, हालांकि वह उपलब्ध था। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह था जो पहला व्यक्ति था जिसे पीडब्लू-1 अजय ने कथित रूप से जो देखा था उसका खुलासा किया था।जब तक दूधवाला नहीं आया, तब तक अजय को पढ़ाने वाला कोई नहीं था।इसलिए, गवाह ने दूधवाले को जो बताया वह ट्यूशन के आरोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा होगा।वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह था जिसकी जाँच गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना से इनकार कर सकती थी क्योंकि वह दुर्घटना के बाद नाबालिग गवाह से मिलने वाला पहला व्यक्ति था।बाद में, नाबालिग अपने चाचा (पीडब्लू-6) और अपने पिता के साथ था और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अजय के परिवार और आरोपी के बीच संपत्ति को लेकर कुछ विवाद था।उनके पिता की उपस्थिति में अस्पताल में उनका बयान दर्ज किया गया।पीडब्लू-6 ने जिरह में कहा कि जब उसका साक्ष्य दर्ज किया गया तो दूधवाला अदालत के बाहर मौजूद था।उनका साक्ष्य 22 दिसंबर 2003 को दर्ज किया गया था।उसी दिन, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने लोक अभियोजक का बयान दर्ज किया कि वह सतपाल से अनावश्यक होने के कारण पूछताछ नहीं कर रहा था और वह गोलू (दूधवाला) को छोड़ रहा था क्योंकि उसे जीत लिया गया था।यहां तक कि अपीलार्थी के पिता भी एक महत्वपूर्ण गवाह थे।यह एक ऐसा मामला है जिसमें दूधवाले और अपीलार्थी के पिता से पूछताछ न करने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

15. जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, एक अन्य परिस्थिति भी प्रासंगिक है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिस घर में घटना हुई थी, उसके पास आरोपी के जूतों/जूतों के पैरों के निशान थे। अभियोजन पक्ष ने पैर के निशान के सांचे ले लिए, जैसा कि पीडब्लू-6 द्वारा अपदस्थ किया गया था।पीडब्लू-6 की उपस्थिति में दोनों अभियुक्तों के जूते/जूते को हिरासत में ले लिया गया।लेकिन, वर्तमान अपीलार्थी के जूते अभियोजन पक्ष द्वारा लिए गए जूते की छाप के सांचों से मेल नहीं खाते थे।

एफ.

16. दूधवाले से पूछताछ न करने के अलावा, अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू-11 मेहर सिंह ने अजय के बड़े भाइयों के बयान दर्ज करके यह सत्यापित करने के लिए अनुसंधान नहीं की कि क्या वे घटना की तारीख को घर से बाहर थे।पीडब्लू-1 अजय के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने और जो हम पहले ही देख चुके हैं उस पर विचार करने के बाद, गवाह को पढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।अभियोजन में अन्य कमियों के अलावा पीडब्लू-1 अजय की गवाही का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं है।

जी.

एच.

मामला, जैसा कि ऊपर बताया गया है।मामले के तथ्यों में, केवल पीडब्लू-1 अजय की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं होगी जो विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।

17. तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं।12 जनवरी 2009 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों और 31 जनवरी 2005 के निचली अदालत के विवादित फैसले को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी को उसके खिलाफ कथित अपराधों से बरी कर दिया जाता है।चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है, इसलिए उसके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

बी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राउल सावंत और रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.